



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 859) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

5 सितम्बर 2020

सं० 1104—श्री पंच शिव मंदिर, पो०— लोहियानगर, था०— कंकड़बाग, जिला— पटना, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 3236 है।

इस मंदिर के संचालन हेतु वर्ष 2014 में 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति का कार्यकाल दि०— 21/08/2019 को समाप्त हो गया। उक्त अवधि में स्थानीय जनता द्वारा कुछ आरोप—प्रत्यारोप न्यास समिति के विरुद्ध प्राप्त होते रहे हैं। न्यास समिति द्वारा भी अपने द्वारा विकासात्मक कार्यों की चर्चा की गयी है। साथ ही अपने प्रार्थना—पत्र दि०— 19/08/19 द्वारा न्यास समिति के पुर्नगठन की मांग की गयी। पर्षद ने अपने पत्र दि०— 05/09/19 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से भी न्यास समिति गठन के बिंदु पर नाम की मांग की गयी, जिसका स्मार दि०— 25/10/19 एवं दि०— 18/11/19 द्वारा प्रेषित किया गया। इस बीच दि०— 22/12/19 को कंकड़बाग निवासियों की एक आम बैठक की गयी, जिसमें ग्यारह व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दि०— 03/01/2020 को प्राप्त हुआ। एक अन्य आम सभा एस० बी० डी० पार्क में आयोजित की गयी, जिसमें 17 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को दि०— 13/01/2020 को प्राप्त हुआ। पर्षद द्वारा अपने पत्र दि०— 18/11/19 द्वारा कार्यरत न्यास समिति के कार्यकाल को नई न्यास समिति गठन किये जाने तक बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया।

प्रस्तावित उपरोक्त तीनों सूचियों को संबंधित थाना को चरित्र—सत्यापन हेतु भेजा गया, जिसमें कार्यरत न्यास समिति के द्वारा प्रस्तावित सूची का सत्यापन प्राप्त हुआ। उक्त पंच शिव मंदिर के महत्त्व, गरिमा एवं सुचारु व्यवस्था हेतु कार्यरत न्यास समिति को अनिश्चित समय तक कार्य करने के लिए अनुमति दिया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्राप्त तीनों सूचियों में से 11 व्यक्तियों का चयन कर एक नवीन न्यास समिति का गठन पांच वर्षों के लिए किया जाता है, जो सहयोगपूर्वक कार्य करके अपनी धार्मिक भावना तथा धर्म के प्रति लगाव रखते हुए, मंदिर के विकास तथा सुचारु संचालन में सहयोग करेंगे एवं भूमिका निभायेंगे।

— : 2 : —

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री पंच शिव मंदिर, पो०— लोहियानगर, था०— कंकड़बाग, जिला— पटना” के सुचारु

प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री पंच शिव मंदिर न्यास योजना, पो0- लोहियानगर, था0- कंकड़बाग, जिला- पटना”** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री पंच शिव मंदिर न्यास समिति, पो0- लोहियानगर, था0- कंकड़बाग, जिला- पटना”** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास के खाता का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ/मंदिर परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
17. अध्यक्ष की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की परिस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन, उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

1. श्री उपेन्द्र नारायण विद्यार्थी, बजरंग निकेतन, पीरमुहानी, फर्स्ट लेन, गांधी मैदान, पटना – अध्यक्ष
2. श्री देवी दयाल प्रसाद (से0नि0, भा0प्र0से0)– उपाध्यक्ष
264, एम0आई0जी, हाउसिंग कॉलोनी, कंकड़बाग, लोहियानगर, पटना।
3. श्री धमेन्द्र कुमार अधिवक्ता, ए/133, हाउसिंग कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना– सचिव
4. श्री वीरेन्द्र प्रसाद (से0नि0, बि0प्र0से0), 405, रेन्टल प्लैट, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना–सह- सचिव
5. श्री रामजन्म प्रसाद सिंह, विजय नगर, पत्रकार नगर, कंकड़बाग, पटना– कोषाध्यक्ष
6. श्री शिव कुमार शर्मा (से0नि0, उप सचिव, बि0वि0प0), 399, रेन्टल प्लैट, कंकड़बाग, पटना– सदस्य
7. श्री नवीन कुमार सिन्हा, बी0/75, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना – सदस्य
8. डॉ0 बी0 के0 सिंह, मालती मार्केट, कंकड़बाग, पटना – सदस्य

9. श्री अमरनाथ शरण , ए0/95, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना – सदस्य
10. श्री जितेन्द्र पासवान, 51, एम0आई0जी0, शालीमार स्वीट्स के पीछे कंकड़बाग, पटना– सदस्य
11. श्री राम विनोद सिंह, मेमा पैलेस, शशि कॉम्प्लेक्स पास, एग्जीविशन रोड, पटना– सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि “श्री पंच शिव मंदिर, पो0– लोहियानगर, था0– कंकड़बाग, जिला– पटना” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:– न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैल / विक्रय / पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 859-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>